"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2012—आश्विन 6, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/35/2012/वाक/पांच (48).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचनां क्रमांक एफ-10-9-2002-वाक-पांच (5) दिनांक 23-01-2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अनुक्रमांक (ii) में शब्द "एयर कंडीशनर" के पश्चात् शब्द "इलेक्ट्रिकल गुड्स, मार्बल एवं टाईल्स, ऐलिवेटर्स, फर्नीचर तथा सीमेंट" जोड़ा जाय.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ-10/35/2012/वाक/पांच (48).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/35/2012/वाक/पांच (48), दिनांक 28-9-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th September 2012

NOTIFICATION

No. F-10/35/2012/CT/V (48).—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 3 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby make following amendments in Notification No. F-10-9-2002-CT-V (5) dated 23-01-2002 :—

AMENDMENT

In Serial Number (ii) of said notification after the word "Air-conditioners" the word "electrical goods, marble and tiles, elevators, furniture and cement" shall be added.

2. This notification shall come into force with effect from the date of publication in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/35/2012/वाक/पांच (49).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-10-9-2002-वाक-पांच (6) दिनांक 23-01-2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के अ. क्र. 1 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि जोड़ा जाय :—

अ. क्र. (1)	माल का वर्णन (2)	प्रवेश कर की दर (3)
2.	इलेक्ट्रिकल गुड्स, मार्बल एवं टाईल्स, ऐलिवेटर्स, फर्नीचर तथा सीमेंट	15 प्रतिशत

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ-10/35/2012/वाक/पांच (49).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/35/2012/वाक/पांच (49), दिनांक 28-9-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th September 2012

NOTIFICATION

No. F-10/35/2012/CT/V (49).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 12 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby make the following amendment in Notification No. F-10-9-2002-CT-V (6) dated 23-01-2002 :—

AMENDMENT

In the said notification, after S. No. 1 the following entry shall be added :—

S. No. (1)	Description of goods (2)	Rate of Entry Tax (3)
2.	Electrical goods, marble and tiles, elevators, furniture and cement.	15 %

2. This notification shall come into force with effect from the date of publication in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.